

लघु उद्योग से सम्बंधित कार्य में उन्नत प्रौद्योगिकी और उत्पादन तकनीकी से किसानों तथा अन्य के साथ काम करने पर केंद्रित है।

सेवा प्रदाता सुमन निषाद पत्नी विकास नाविक पता ग्राम मोढ़ैला पो. चन्दवक तहसील केराकत जनपद जौनपुर राज्य उत्तर प्रदेश (भारत) के पास महिला प्रशिक्षण व्यवस्था

म.सं. 282, ग्राम मोढ़ैला पो. चन्दवक तहसील केराकत जनपद जौनपुर राज्य

उत्तर प्रदेश (भारत) में है, उपरोक्त भवन में सेवा प्रदाता सिलाई का कार्य कर रही हैं और

सेवा प्रदाता की अपनी स्वस्थ शरीर, चित्त और मन से स्वतन्त्र और स्वच्छ इच्छा है कि

कंपनी उन्हें गुणवत्तापूर्ण महिला ट्रेनिंग सेंटर (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लैस बनाना, काजल,

बिंदी, मोती की माला, डिजाइनर कपड़ा निर्माण विधि सहित महिलाओं के उपयोगी वस्तुओं

पर केन्द्रित शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग) संचालन में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें तथा

कम्पनी के साथ मिलकर ट्रेनिंग सेंटर का संचालन किया जाय।

इसलिए, पार्टियां इस प्रकार सहमत हैं:

1. परिभाषाएँ

1. समझौते का मतलब केवल महिला ट्रेनिंग सेंटर (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लैस बनाना, काजल, बिंदी, मोती की माला, डिजाइनर कपड़ा निर्माण विधि सहित महिलाओं के उपयोगी वस्तुओं पर केन्द्रित शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग) के लिए समझौता है जिसमें प्रशिक्षण से उत्पादन और उसके विपणन की व्यवस्था भी सामिल रहेगा।

2. महिला ट्रेनिंग सेंटर (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लैस बनाना, काजल, बिंदी, मोती की माला, डिजाइनर कपड़ा निर्माण विधि सहित महिलाओं के उपयोगी वस्तुओं पर केन्द्रित शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग) का अर्थ उपरोक्त या कोई अन्य किस्म है जिसे कंपनी महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त समझती है और इस अवधि के दौरान समय-समय पर सेवा प्रदाता को लिखित रूप में सूचित करती है।

3. पार्टियों का मतलब सेवा प्रदाता और कंपनी होगा और पार्टी का मतलब सेवा प्रदाता या कंपनी होगा।

4. ट्रेनिंग का मतलब महिला ट्रेनिंग सेंटर (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लैस बनाना, काजल, बिंदी, मोती की माला, डिजाइनर कपड़ा निर्माण विधि सहित महिलाओं के उपयोगी वस्तुओं पर केन्द्रित शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग) लेने वालों को जानकारी देने से है जो जानकारी लेने के लिए तैयार हों और इस समझौते में निर्दिष्ट भवन पर बने सेंटर पर ट्रेनिंग प्राप्त करने के इच्छुक और आवेदक हैं।

5. "ट्रेनी" का मतलब ट्रेनिंग प्राप्त करने के इच्छुक और आवेदक हैं। "ट्रेनर" का मतलब जानकारी ट्रेनिंग देने वाले से है।



SHYAMAVSVSS LIMITED

विकास
Director

Page 2 of 9

सुमन निषाद

Handwritten signature of Suman Nishad.

6. परियोजना का मतलब वर्तमान समझौते के तहत ट्रेनी, ट्रेनर व सेवा प्रदाता द्वारा की जाने वाली उत्पादन और वर्तमान समझौते की शर्तों के अनुसार उत्पादन खरीदने व विपणन के लिए कंपनी का उपक्रम शामिल होगा।
7. उत्पादन का मतलब महिला ट्रेनिंग सेंटर (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लैस बनाना, काजल, बिंदी, मोती की माला, डिजाइनर कपड़ा निर्माण विधि सहित महिलाओं के उपयोगी वस्तुओं पर केन्द्रित शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग) लेने से निर्माण, उनका उचित संयोजन, पैकेजिंग आदि करके विक्रय के लिए तैयार करने से है।

2. समझौते की अवधि

1. यह समझौता तारीख 16.07.23 से प्रभावी होकर 16.07.33 तक होगा।
2. पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि वे महिला ट्रेनिंग सेंटर (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लैस बनाना, काजल, बिंदी, मोती की माला, डिजाइनर कपड़ा निर्माण विधि सहित महिलाओं के उपयोगी वस्तुओं पर केन्द्रित शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग) लेने का सेंटर चला करके उसके माध्यम से उत्पादित माल को घरेलू बाजार में बिक्री या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात सहित एक साथ काम करेंगे।
3. सेवा प्रदाता महिला ट्रेनिंग सेंटर (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लैस बनाना, काजल, बिंदी, मोती की माला, डिजाइनर कपड़ा निर्माण विधि सहित महिलाओं के उपयोगी वस्तुओं पर केन्द्रित शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग) चलाने के लिए उक्त भवन समर्पित कर रहे हैं और समझौते की ऐसी अवधि के दौरान कंपनी के साथ निरंतर आधार पर काम करते रहेंगे।
4. पार्टियां इस बात पर भी सहमत हैं कि वे समझौते के निष्पादन की तारीख से मिलकर काम करेंगे। ट्रेनिंग सेंटर चलाने के अनुभव के आधार पर दोनों पक्ष परस्पर समझौते को जारी रखने या बंद करने का निर्णय लेंगे।
5. पार्टियों द्वारा समझौते को पारस्परिक रूप से किसी अन्य की ट्रेनिंग के लिए बढ़ाया जा सकता है।

3. ट्रेनिंग का विवरण

यह समझौता केवल महिला ट्रेनिंग सेंटर (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लैस बनाना, काजल, बिंदी, मोती की माला, डिजाइनर कपड़ा निर्माण विधि सहित महिलाओं के उपयोगी वस्तुओं पर केन्द्रित शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग) या किसी अन्य किस्म की ट्रेनिंग तक सीमित होगा जिसे कंपनी ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त समझती है।

4. भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

1. सेवा प्रदाता कंपनी के गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुसार प्रस्तावना में उल्लिखित आराजी पर महिला ट्रेनिंग सेंटर (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लैस बनाना, काजल,

9/11

16/07/23



बिंदी, मोती की माला, डिजाइनर कपड़ा निर्माण विधि सहित महिलाओं के उपयोगी वस्तुओं पर केन्द्रित शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग) चलाने के लिए सहमत है।

2. सेवा प्रदाता कंपनी या उसके तकनीकी द्वारा निर्धारित प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली का पालन करेगा। कंपनी या उसके तकनीकी द्वारा अनुशंसित सामग्री और रसायनों के उपयोग का पालन और कानून द्वारा अपेक्षित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग भी शामिल है। कंपनी ऐसे विनिर्देशों और परिचालनों को सेवा प्रदाता को लिखित रूप में निर्दिष्ट करेगी। परियोजना के दौरान ऐसे विनिर्देश बदल सकते हैं।
3. सेवा प्रदाता को अपनी लागत और जोखिम पर, सभी परियोजना विकास, पूर्व और पश्चात की गतिविधियों को पूरा करना आवश्यक है, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। भवन विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था, देखभाल गतिविधियाँ, पोषण की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नियंत्रण और प्रबंधन, स्वच्छता, रोगों की रोकथाम गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधन तथा कोई अन्य कार्य।
4. सेवा प्रदाता को कंपनी के प्रतिनिधि की देखरेख में ट्रेनी और ट्रेनर चयन करने के लिए अपनी लागत पर श्रमिकों और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।
5. ट्रेनिंग सेंटर की गतिविधियों के लिए आवश्यक सभी श्रम शुल्क और सामग्री की लागत कंपनी और सेवा प्रदाता द्वारा बराबर प्रदान की जायेगी।
6. सेवा प्रदाता और कम्पनी दोनों के संयुक्त लागत पर ट्रेनिंग सेंटर के आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की जायेगी।
7. सेवा प्रदाता और कम्पनी दोनों के संयुक्त लागत व संयुक्त प्रयास से ग्लोबल जी. पी. एस. के लिए आवश्यक सभी गतिविधियाँ पूरी की जायेगी।
8. सेवा प्रदाता और कम्पनी दोनों के संयुक्त देखरेख में प्रशिक्षण में अनुमेय सीमा के भीतर अवशेषों के लिए सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतनी होंगी।
9. सेवा प्रदाता और कम्पनी दोनों के संयुक्त लागत पर ट्रेनिंग के पूर्व और ट्रेनिंग के बाद की सभी गतिविधियों को पूरा करना आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: ट्रेनिंग से होने वाले उत्पाद का
 - a) फार्म स्तर पर छंटाई / ग्रेडिंग / पैकिंग
 - b) केंद्रीय वितरण केंद्र तक परिवहन



- c) स्टोरेज संचालन
 - d) पैक हाउस संचालन
 - e) निर्यात और घरेलू बिक्री
10. कंपनी सेवा प्रदाता को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग के लिए मार्गदर्शन देने के लिए महिलाओं सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में अनुभव रखने वाले तकनीकी व्यक्ति की व्यवस्था कर सकेगी।
 11. कंपनी सरकार के अनुसार ट्रेनिंग परियोजना से संबंधित पात्र किसानों को विभिन्न गतिविधियों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सेवा प्रदाता को सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित सरकार के संबंधित विभाग के साथ समन्वय करेगी। सेवा प्रदाता को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उचित दस्तावेज भी समय पर उपलब्ध कराने होंगे।
 12. राज्य/केंद्र सरकार के समन्वय से या कंपनी की लागत पर कंपनी द्वारा प्रशिक्षण, एक्सपोज़र विजिट और प्रदर्शन अन्य स्थान पर भी आयोजित किए जा सकते हैं।
 13. इस समझौता में कहीं और उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, सेवा प्रदाता या कंपनी द्वारा स्वीकृति के बाद किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और सेवा प्रदाता या कंपनी द्वारा ट्रेनिंग के बाद की गतिविधियों, ट्रेनिंग से तैयार सामान की बिक्री और रसद की सभी लागतों और जोखिमों के लिए बराबर के जिम्मेदार होंगे।
 14. कंपनी और सेवा प्रदाता आम तौर पर ट्रेनिंग सेंटर उसकी परिसंपत्तियों और कंपनी और सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किए गए लागत के किसी भी कानूनी परिणाम के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप जिम्मेदार न होकर बराबर के जिम्मेदार होंगे।

5. ट्रेनिंग, उत्पादन तथा वितरण

ट्रेनिंग हमेशा सरकारी नियमानुसार की जाएगी जिसके लिए सेवा प्रदाता और कंपनी पारस्परिक रूप से सहमत है।

ट्रेनिंग कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की देखरेख में की जाएगी। सेवा प्रदाता इस अवधि के दौरान किसी भी समय, स्वयं या किसी अन्य पार्टी के माध्यम से, कंपनी द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग का कोई भी उपकरण या व्यवस्था किसी अन्य ट्रेनिंग के लिए किसी तीसरे पक्ष को देने की कोशिश नहीं करेगा और कंपनी की सहमति और उपस्थिति के बिना सेवा प्रदाता द्वारा की गई कोई भी गतिविधि सेवा प्रदाता द्वारा समझौते का उलंघन होगी और कंपनी समझौते के उलंघन के खिलाफ उचित कदम उठा सकेगी।



SHYAMAVS KRISHI LIMITED

विमल
Director

Page 5 of 9

सुमन निषाद
1/10/23

3. ट्रेनिंग के लिए सेवा प्रदाता व कम्पनी द्वारा दोनों के संयुक्त खर्च पर श्रमिक की व्यवस्था करनी होगी।
4. गुणवत्ता और पैकेजिंग के संबंध में कंपनी का निर्णय समझौते की शर्तों के अनुसार तीसरे पक्ष के निरीक्षण के अधीन हो सकता है।

6. शुल्क और मूल्य निर्धारण

1. समझौते की शर्तों के अनुसार प्रचलित ट्रेनिंग शुल्क निर्धारण और भुगतान सेवा प्रदाता व कम्पनी द्वारा दोनों के द्वारा संयुक्त प्रयास से किया जायेगा।
2. उत्पादन के मूल्य की गणना पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य और बाजार दर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए की जाएगी।

7. अद्वितीय ट्रेनिंग सेंटर कोड व अधिकृत प्रमाण पत्र

1. सेवा प्रदाता के लिए कम्पनी द्वारा अद्वितीय ट्रेनिंग सेंटर कोड प्रदान करते हुए पंजीकरण पूरा किया जाएगा और समझौता उपरान्त समझौता प्रपत्र पर प्रारम्भ और अन्त में दर्ज कर दिया जायेगा तथा सेवा प्रदाता को ट्रेनिंग सेंटर का अधिकृत प्रमाण पत्र दिया जायेगा जो ट्रेनिंग सेंटर पर सहज दृश्य स्थान पर लगाया जायेगा।

8. भुगतान की शर्तें

- 1- सेवा प्रदाता को आधार नंबर, बैंक खाता विवरण से कोई नकद भुगतान नहीं किया जाएगा, आवश्यक आरटीजीएस विवरण के साथ आईएफएससी कोड के लिए चेक प्रदान कर भुगतान किया जाना है।

9. गोपनीयता और गैर-प्रतिस्पर्धा:

1. सेवा प्रदाता इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि कंपनी परियोजना को लागू करने और निष्पादित करने के लिए आवश्यक जानकारी और जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी मात्रा में धन का निवेश करेगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि सेवा प्रदाता परियोजना से संबंधित किसी भी और सभी जानकारी को गोपनीय रखेगा, जिसमें महिला के विकास से संबंधित सभी जानकारी और तकनीकी जानकारी, ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद की तकनीकें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
2. सेवा प्रदाता कंपनी के साथ सहमत शर्तों के अनुसार इस समझौते के अनुसार परियोजना को निष्पादित करने के एकमात्र उद्देश्य के अलावा ऐसी किसी भी पूर्वोक्त जानकारी का खुलासा या उपयोग नहीं करेगा।
3. इस समझौता की अवधि के दौरान, सेवा प्रदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दुनिया के किसी भी हिस्से में कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा और न ही



सेवा प्रदाता भारत या कहीं भी सेंटर के उत्पाद की बिक्री में किसी तीसरे पक्ष के साथ सहयोग करेगा। साथ ही, सेवा प्रदाता इस समझौता की अवधि के बाद किसी भी समय स्वयं या किसी अन्य पक्ष के माध्यम से इसका उपयोग नहीं करेगा तथा दुनिया में कहीं भी उत्पादित माल के बिक्री के लिए इस समझौते के तहत कंपनी की मालिकाना जानकारी का खुलासा नहीं करेगा।

4. इस समझौता की अवधि के दौरान, सेवा प्रदाता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी के अलावा किसी अन्य पार्टी को कोई उत्पाद नहीं बेचेगा, जब तक कि उसे ऐसे उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से सहमत शर्तों के अनुसार कंपनी की पूर्व लिखित सहमति न मिल जाए। कंपनी द्वारा नहीं ली जाने वाली उत्पाद की मात्रा के लिए लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।


10. सेवा प्रदाता के अधिकारों की सुरक्षा.

1. यह समझौता किसी भी तरह से सेवा प्रदाता के उसकी भवन पर मालिकाना हक और कब्जे को प्रभावित नहीं करेगा।
2. कंपनी समझौते की अवधि पूरी होने पर सेवा प्रदाता की भवन पर बनी सभी संरचनाओं, यदि कोई हो, को अपनी लागत पर हटा देगी।
3. अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप महिला के नुकसान के कारण डिलीवरी न होने की स्थिति में सेवा प्रदाता कंपनी को उत्पादन की किसी भी डिलीवरी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।


11. विवाद समाधान तंत्र

1. इस समझौते से या इसके संबंध में कोई भी वाद, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो पार्टियां पहले ऐसे वादों, विवादों या मतभेदों को सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगी।
2. तीस दिनों की अवधि के भीतर आपसी सहमति/सुलह द्वारा विवाद का समाधान करने में विफलता पर, वाद, विवाद या गतिरोध को अंतिम रूप से सेवा प्रदाता (सशक्तीकरण और संरक्षण) के अनुसार नामित और परिभाषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर समझौता अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश 11) और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर सेवा प्रदाता समझौता (विवाद समाधान) नियम, 2020 के तहत बनाए गए नियमानुसार।

विविध:



1. सेवा प्रदाता एक स्वतंत्र पार्टी है और रहेगा और इस समझौते का अर्थ कंपनी और सेवा प्रदाता के बीच कोई एसोसिएशन, साझेदारी या संयुक्त उद्यम, प्रिंसिपल और एजेंट या नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध बनाना नहीं होगा।
2. इस समझौते को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप के अलावा संशोधित, संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
3. यह समझौता, इसके अनुलग्नकों सहित, पार्टियों के बीच संपूर्ण समझौते को निर्धारित करता है और इसके विषय पर पार्टियों के बीच सभी पूर्व समझौतों, व्यवस्थाओं और समझ, मौखिक या लिखित, का स्थान लेता है।
4. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना अपने दायित्वों या अधिकारों के सभी या किसी भी हिस्से को सौंपेगा या उन पर भार नहीं डालेगा। इस अनुबंध में उपयोग किए गए शीर्षकों का उपयोग केवल सुविधा के लिए किया जाता है और इस समझौते की व्याख्या या व्याख्या करते समय इन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
5. इस समझौते की कोई भी शर्तें पार्टियों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगी, बाध्यकारी नहीं होंगी और उनके लाभ के लिए बाध्य नहीं होंगी।
6. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को नहीं सौंप सकता है, सिवाय इसके कि कोई भी पक्ष (यहां अपने दायित्वों से मुक्त हुए बिना) इस समझौते को किसी तीसरे पक्ष को सौंप सकता है जो उसके सभी व्यवसाय या परिसंपत्तियों में काफी हद तक सफल होता है।
7. यदि इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य, गैरकानूनी या अप्रवर्तनीय होगा, तो इसे यथासंभव हद तक संशोधित किया जाएगा ताकि इसे वैध, कानूनी और लागू करने योग्य बनाया जा सके और जैसा व्यावहारिक हो सके व बनाए रखा जा सके। पक्ष, और शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता और प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या खराब नहीं होगी।
8. इस समझौते के किसी भी प्रावधान में कोई भी संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि संशोधन लिखित रूप में न हो और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
9. इस समझौते के किसी भी प्रावधान की कोई भी छूट तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि छूट लिखित रूप में न हो और छूट देने वाले पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित न हो।



10. इस अनुबंध के किसी भी उल्लंघन के लिए किसी भी पक्ष द्वारा दी गई छूट को इसके तहत किसी अन्य उल्लंघन तक विस्तारित नहीं माना जाएगा या ऐसी किसी अन्य घटना के आधार पर उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

11. पार्टियों को दी जाने वाली आवश्यक सूचना लिखित रूप में होगी और यदि पंजीकृत डाक पावती द्वारा भेजी जाती है या निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत रूप से वितरित की जाती है (जब तक कि अन्य पार्टी को अन्यथा लिखित रूप में सूचित नहीं किया जाता है):

कंपनी; श्यामव्सव्स कृषि लिमिटेड जिसका
CIN.NO.U01100UP2022PLC170775 पता..ककरहा पुरवा.एम.
आई. रसलकोर्ट गोमती नगर विस्तार बाघामऊ.चिनहट लखनऊ. उ.प्र.
226010


सेवा प्रदाता:- सुमन निषाद पत्नी विकास नाविक पता ग्राम मोडैला पो.
चन्दवक तहसील केराकत जनपद जौनपुर राज्य उत्तर प्रदेश (भारत)

इस समझौते में निहित और कही गई किसी भी बात के बावजूद, यदि इस समझौते का कोई भी या सभी प्रावधान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश 11) पर सेवा प्रदाता (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, समझौता अमान्य हो जाएगा और इस समझौते के विघटन से होने वाला कोई भी वित्तीय बोझ कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

इसके साक्ष्य में

"सेवा प्रदाता" सुमन निषाद पत्नी विकास नाविक की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

"कंपनी" श्यामव्सव्स कृषि लिमिटेड के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर विकास के उपस्थिति में हस्ताक्षरित



समर्थक जता कि यह दस्तावेज़ भारत सरकार की सहायता से तैयार किया गया है।
भारत सरकार की सहायता से तैयार किया गया है।
सत्यापन अधिकांश
Oathed By Oath...
on Behalf of Govt. of India
Counselled by Adv...
10/1/2023
SHYAMWATSVA KRISHI LIMITED
जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश

विकास
Director

सुमन निषाद

17/07/23